(127)

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–12/2017/08/बजट /राँची, दिनांक– 21.06.2022

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **कोडरमा जिलान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) के निर्माण एवं स्थापना हेतु स्वीकृत योजना के निमित कुल रू0 20,00,00,000/– (रू0 बीस करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

कोडरमा जिला के अंचल जयनगर, ग्राम–गौहाल में राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) के स्थापना एवं निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 25.06.2019 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं विभागीय पत्रांक 12/योजना दिनांक 12.07.2019 के द्वारा प्राक्कलित राशि रू 57,96,00,000/– (रू0 संतावन करोड़ छियानबे लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) के स्थापना एवं निर्माण हेतु स्वीकृत योजना के निमित वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रू0 25,00,00,000/– (रू0 पच्चीस करोड़) मात्र की राशि झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को विमुक्त की जा चुकी है।

3. अतः राजकीय पोलिटेकनिक, जयनगर (कोडरमा) के स्थापना एवं निर्माण हेतु स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि की निकासी हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 ...08./योजना दिनांक 21.06.2022 के आलोक में कुल रू0 20,00,00,000/– (रू0 बीस करोड़) मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06– तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।

   विपत्र कोड – 43S420202105060105 45

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।

126

8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन,

Kailash 21/6/22

(के0 के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–12/2017/08/बजट /राँची, दिनांक– 21.06.2022

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 21/6/22

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–12/2017/08/बजट /राँची, दिनांक– 21.06.2022

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 21/6/22

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–12/2017/08/बजट /राँची, दिनांक– 21.06.2022

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 21/6/22

अपर मुख्य सचिव

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	(अजय कुमार सिंह) अवर सचिव	(अभय कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव